न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 08/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
हमीराराम बालाच तत्कालीन कार्यवाहक तहसीलदार , रामसर जिला बाडमेर हाल– नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय चौहटन		**जिला कलक्टर** **बाडमेर।**

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर बाडमेर कमांक प.1()(1) कार्मिक/2023/9050 दिनांक 27.08.2024 जिसके द्वारा नियम 17 के तहत् अपीलांट को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः––

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 10 दिसम्बर,2024

यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 24.09.2024 को जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर के माध्यम से जरिये डाक के द्वारा प्राप्त हुई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के तहसीलदार रामसर के पद पर कार्यवाहक तहसीलदार पदस्थापन रहने के दौरान जिला कलक्टर बाडमेर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 2956 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः––

आरोप संख्या 01 :–

श्री हमीराराम नायब, तहसीलदार कार्यवाहक तहसीलदार रामसर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मौजा गागरिया स्टेशन पटवार हल्का गागरिया तहसील रामसर के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 211/100 के रकबा 3.4801 हैक्टेयर एंव खसरा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नम्बर 213/100 के रकबा 0.1401 हैक्टेयर भूमि को श्री राणा खान पुत्र खान मोहम्मद निवासी जुनेजो मेहरों की बसती भाडखा तहसील बाडमेर को जरिये बैचान दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 20230108600323 तथा मौजा कंटलिया का पार पटवार हल्का गागरिया के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 157 रकबा 0.3776 हेक्टेयर भूमि दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 20230108600322 द्वारा श्री बक्शा खान पुत्र सिक्का खान निवासी पूनिया का पाडा जैसार तहसील चौहटन के पक्ष में बैचान किया गया। उक्त भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के उपरान्त भी प्रतिबन्धित भूमि के बैचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

आरोप संख्या 02

मौजा गागरिया स्टेशन पटवार हल्का गागरिया तहसील रामसर के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 211/100 के रकबा 3.4801 हेक्टयेर एंव खसरा नम्बर 213/100 के रकबा 0.1401 हेक्टेयर भूमि को श्री राणा खान पुत्र श्री खान मोहम्मद निवासी जुनेजो मेहरो की बस्ती भाडखा तहसील बाडमेर को बैचान को दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 20230108600323 तथा मौजा कंटलिया का पार हल्का गागरिया के सुयक्त खातेदारो के खसरा नम्बर 157 रकबा 0.3776 हेक्टेयर भूमि दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 20230108600322 द्वारा श्री बक्शा खान पुत्र श्री सिक्का खान निवासी पूनियों का पाडा जैसार तहसील चौहटन के पक्ष में बैचान किया गया। उक्त पंजीयन रात 08:00 बजे किया जाना पाया गया जबकि राजकीय कार्य कार्यालय समय पश्चात् किया जाना वंर्जित है। इनका यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यो के प्रति घोर लापरवाहीं का द्योतक है।

आरोप संख्या 03

इस कार्यालय के पत्र कमांक 2658 दिनांक 21.06.2023 से पंजीयन कमांक 20230108600323 एंव 20230108600322 सम्बन्धी दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एंव चेक लिस्ट एंव अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिया 03 योम में विशेष वाहक के साथ भिजवाये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी इनके द्वारा आदिनांक तक वांछित दस्तावेज नही भिजवाये गये इनका यह कृत्य उच्चअधिकारियों के निर्देशो की अवहेलना करने एंव अपने पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाहीं बरतने की श्रेणी में आता है।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त ज्ञापन का जिला कलेक्टर महोदय को प्रतियुत्तर दिनांक 21.07.2023 को ही प्रस्तुत करते हुयें आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया एवं संस्थित अनुशासनिक कार्यवाहीं को समाप्त करने व कारण बताओं नोटिस को फाईल करने का निवेदन जिला कलेक्टर महोदय को कर दिया था। तत्पश्चात जिला कलक्टर बाडमेर ने पत्रांक 4047 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामसर से अपीलांट को जारी ज्ञापन कमांक 2956 दिनांक 04.07.2023 व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गई जिसमें जॉच अधिकारी ने जरिये पत्रांक 4426 दिनांक 29.12.2023 के द्वारा टिप्पणी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रेषित की गई जिसमें अपीलांट को कर्तव्यो के प्रति लापरवाहीं एंव आदेशो की अवहेलना नहीं किया जाना बताया गयातथा अपीलांट के विरूद्व जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की अनुशंषा की गई ।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में उन्होनें अपने जवाब में अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा जारी स्थगन की प्रति उपपंजीयक रामसर को नही दी गई थी व न ही उपपंजीयक रामसर को पक्षकार बनाया गया था। वक्त दस्तावेज पंजीयन अपीलांट को स्थगन की जानकारी नही थी। बाद पंजीयन जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने पंजीयन दस्तावेज पर अन्तर्गत पंजीयन नियम 39 के तहत् नोट अंकित कर दिया था। पंजीयन दस्तावेजों के साथ पेश की गई खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी में पटवारी हल्का द्वारा स्थगन का नोट अंकित कर जारी नही करने के कारण पटवारी हल्का को जरिये पत्र क्रमांक रीडर/2023/216 दिनांक 16.06.2023 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं रेकर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु भी पटवारी को पत्रांक 214-15 दिनांक 16.06.2023 जारी कर पाबन्द किया गया।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 3/2015 दिनांक 17.06.2015 के बिन्दु संख्या 12 (VII) में यह स्पष्ट है कि जब किसी वाद में उप पंजीयक को पक्षकार नही बनाया है तो पंजीयन दस्तावेज को पंजीबद्ध करने से नहीं रोका जावे व राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के ध्यान आते ही उस पर नोट अंकित किया जावे जो अपीलांट द्वारा पंजीयन दस्तावेज पर समय पर अंकित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलांट दिनांक 14.06.2023 को प्रशासन गॉवो के संग व महगाई राहत शिविर कैम्प में सूराली ग्राम पंचायत में उपस्थित था तथा सांय 5 से 6 बजे के बीच कार्यालय समय में पंजीयन दस्तावेज कार्यालय में पेश होने पर मार्क किया गया जो कि तकनीकी कारणो से दस्तावेज फीड होने व प्रिंट निकलने में समय लगा। नियमानुसार पंजीयन दस्तावेज पेश होने पर उसी दिन निस्तारण करने के निर्देश है परन्तु तकनीकी इश्यू की वजह से हुई देरी को निष्पादन में देरी में शुमार नही किया जा सकता। श्रीमान जिला कलक्टर, बाडमेर द्वारा दस्तावेज की प्रतियां चाहने पर तत्समय भिजवा दी गई थी। इस प्रकार अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए उस पर लगे आरोपो से इन्कार किया गया व कारण बताओं नोटिस को फाईल करने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलांट को उक्त प्रतियुत्तर को स्वीकार न कर दोषी मानते हुयें दिनांक 27.08.2024 अपीलाधीन आदेश पारित

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया जबकि उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा भेजी गई टिप्पणी में अपीलांट को किसी प्रकार से आदेशो की अवहेलना व लापरवाही किया जाना नही बताया गया है और अपनी टिप्पणी में अपीलांट के विरूद्व जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की अनुशंषा के बावजूद दण्डित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलांट ने सम्पूर्ण राजकीय सेवा में अपने सभी कर्तव्यो के अथवा उच्च अधिकारियों के निर्देशो की पूर्ण रूप से तथा समय पर पालना की है, उनकी राजकीय सेवा कभी दूषित नही रही है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाकर श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 9050 दिनांक 27.08.2024 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री नथाराम, तहसीलदार रामसर ने जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित परिनिन्दा के दण्ड को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। विभागीय पैरोकार द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार प्रेषित टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा विभागीय जॉच के जवाब में न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवान रामूदेवी बनाम देवी में उपपंजीयक के पक्षकार नहीं बनाने का कथन, तहसीलदार व उपपंजीयक रामसर दोनों एक ही होने से उचित प्रतीत नहीं होने, तहसीलदार के भूमिर्धारी होने के नाते उसे स्थगन आदेश की जानकारी होने व दिनांक 14.6.2024 को कार्यालय समाप्ति के पश्चात दस्तावेज पंजीयन करने के आरोप साबित होने के आधार पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट श्री हमीराराम को कुल तीन आरोपों से आरोपित किया गया है जिनमें अपीलान्ट के उपपंजीयक के रूप में न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवान रामूदेवी बनाम देवी में स्थगन होने के बावजूद प्रतिबन्धित भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना तथा पंजीयन कार्यालय समय समाप्ति के पश्चात करने एवं पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करवाने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के आधार पर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप प्रमाणित होना मानते हुए जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलान्ट श्री हमीराराम बालाच, ना0 तहसीलदार के कार्यवाहक तहसीलदार, रामसर के पद पर पदस्थापन्न रहने के दौरान अपीलान्ट उप पंजीयक, रामसर का अतिरिक्त कार्यभार रहा है। आरोपित आरोप में दर्शाये गये स्थगन आदेश की प्रति अपीलान्ट उप पंजीयक को रिकार्ड पर प्राप्त नहीं होना पाया गया है न ही उप पंजीयक को उपखण्ड अधिकारी, रामसर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 15/2023 अनवान रामुदेवी बनाम देवी वगैराह में पक्षकार बनाया गया था। ऐसे में अपीलान्ट/उपपंजीयक को स्थगन की जानकारी दस्तावेज पंजीयन के समय नहीं रही है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा स्वयं के अपील मीमों में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट को ज्ञापन प्राप्त होने पर समय पर लिखित में प्रत्युतर जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रस्तुत कर दिया गया था तथा उक्त प्रत्युतर पर श्रीमान जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर से टिप्पणी चाही गई, उस पर भेजी गई टिप्पणी में अपीलान्ट को जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की अनुशंषा किये जाने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला बाडमेर की जॉच रिपोर्ट पत्रांक सस्थापन/2023/4426 दिनांक 29.12.2023 के रूप में पत्रावली में संलग्न है जो कि उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला बाडमेर द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रेषित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर द्वारा श्री बालाच के आरोप पत्रों पर वस्तुस्थिति की जॉच की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार महानिरीक्षक, पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 3/2015 दिनांक 17.06.2015 के बिन्दु संख्या 12 (VII) में स्पष्ट है कि जब किसी वाद में उप पंजीयक को पक्षकार नही बनाया गया है तो पंजीयन दस्तावेज को नही रोका जावे व राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 का नोट ध्यान आते ही अंकित किये जाने की कार्यवाही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 में यह भी अंकित किया गया है कि इस प्रकरण में उपपंजीयक, रामसर जिला बाडमेर द्वारा पंजियन विभाग के नियमों की पालना करते हुए पंजीयन दस्तावेज पर नियम 39 में नोट अंकित कर दस्तावेज का पंजीयन किया जाना पाया गया तथा उपपंजीयक वाद में पक्षकार एवं पाबन्द नहीं है। उप पंजीयक रामसर द्वारा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रखने हेतु पाबन्द किया गया तथा किसी प्रकार का नामान्तरकरण दायर नहीं हुआ। रेकर्ड व मौके की आदिनांक यथास्थिति बनी रही। इस प्रकार श्री हमीराराम बालाच कार्यवाहक तहसीलदार, रामसर द्वारा किसी प्रकार की दुर्भावना, नियमों या आदेश की किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार आरोप संख्या 02 के संदर्भ में जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 में टिप्पणी अंकित की गई है कि श्री हमीराराम बालाच, कार्यवाहक तहसीलदार रामसर ने अपने प्रत्युतर में जाहिर किया है कि दिनांक 14.06.2023 को प्रशासन गांवो के संग कैम्प था और कैम्प के उपरान्त सांय 6.00 बजे से पूर्व तहसील कार्यालय पहुंचा तब दस्तावेज तहसील में पंजीयन हेतु पेश हुए और उनके द्वारा मार्क किया गया तथा जो समय लगा, वो दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रकिया में लगा। यह कम्पयूटर तकनीकी प्रकिया का भाग है, चूंकि तत्समय तहसीलदार का पद रिक्त था तथा तहसीलदार एवं उप पंजीयक दोनों पदों का कार्य श्री हमीराराम बालाच, नायब तहसीलदार ही देख रहे थे और प्रशासन गांवों के संग कैम्पों के अलावा तहसील के समस्त कार्य भी सुचारू किये जाने आवश्यक थे। अतः दस्तावेज का पंजीयन किया गया। पंजीयन में देरी मार्किंग के बाद की पंजीयन प्रकिया है तथा प्रकियाबद्ध निष्पादन को देरी में शुमार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अलावा उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 के अनुसार ई–मेल जानकारी में आने के दो दिवस में आदेशानुसार दस्तावेजों की प्रतियां भिजवाया जाना भी उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला बाडमेर ने आरोपित अधिकारी के प्रत्युतर में तमाम तत्कालीन परिस्थितियों तथा नियमों के मध्यनजर प्रकरण में श्री बालाच की कर्तव्य के प्रति लापरवाही या उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किया जाना नहीं पाया गया तथा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।

जिला कलेक्टर, बाडमेर के पत्रांक 4047 दिनांक 11.8.2023 द्वारा स्वयं जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर से इस प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई है, वह जॉच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर ने अपने पत्रांक सस्थापन/2023/4426 दिनांक 29.12.2023 द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रस्तुत भी की है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने श्री बालाच पर लगाये गये सभी आरोपों को सिद्ध नहीं होना बताया है तथा अधिकारी को जारी आरोप पत्र को फाईल किये जाने की अनुशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर की इस रिपोर्ट का जिला कलेक्टर, बाडमेर ने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय में हवाला तक नहीं दिया है जबकि यह जॉच जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर से स्वयं करवाई गई, फिर यह जॉच रिपोर्ट मंगवाने का क्या औचित्य था, जब इसमें अंकित तथ्यों को न तो देखा गया है और न ही अपने निर्णय दिनांक 27.08.2024 में जिला कलेक्टर, बाडमेर ने इसका अंकन किया गया।

इसके अलावा जिला कलेक्टर, बाडमेर ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.2024 में आरोपित आरोपों एवं जॉच रिपोर्ट का तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से परिनिन्दा से दण्डित किया गया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप निराधार प्रतीत होते है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर